Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
S.T. 120/2026, Pothia P.S. Case No. 65/2024

Roshan Kumar VS.State of Bihar

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

S.T.No-120/2026
Pothia P.S. Case No-65/2024

1. रोशन कुमार पिता भोला प्रसाद यादव,उ0त0–22 वर्ष
निवासीः– पोठिया, थानाः– पोठिया,
जिलाः–कटिहार.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यषवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्रीः .....देव चन्द्र झा।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 04-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 02.04.2025 को उपरोक्त अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देव चन्द्र झा द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा विद्वान कविता कुमारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसके विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन संख्या– 1323/2025 दाखिल किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 08.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के मुख्य अभियुक्त अमोद कुमार के विरूद्ध सत्र वाद संख्या– 102/2025 में चार अभियुक्तों का न्यायालय में मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया है, जिसमें आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक का सूचक की पुत्री अथवा सूचिका के साथ कोई विवाद एवं शत्रुता नहीं रही है। आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नहीं है। सूचिका द्वारा आवेदक की पहचान नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा सूचिका का घर नहीं देखा गया है और न हीं उसकी मामले में किसी तरह की संलिप्तता रही है। मामले के मुख्य अभियुक्त अमोद कुमार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर उसने गलत ढंग से घटना में शामिल होने के संबंध में आवेदक का नाम ले लिया है। कई तिथियों तक अनुसंधान के बाद भी आवेदक का नाम मामले में उजागर नहीं किया गया था। आवेदक एक अच्छे आचरण का समाजिक एवं गरीब व्यक्ति है जो हमेशा अपने को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखता है। सूचिका की पुत्री द्वारा सह अभियुक्त अमोद कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 376 के अन्तर्गत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आवेदक के पिता भोला यादव को साक्षी बनाया गया था। जब अमोद कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उसने गलत ढंग से बदला लेने के आशय से रोशन कुमार का नाम दे दिया। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है तथा उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि पर बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह के द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका सोना देवी पति हरिमोहन मंडल, साकिन– पोठिया, थाना– पोठिया, जिला– कटिहार के फर्दबयान के आधार पर पोठिया थाना कांड संख्या– 65/2024 दिनांक 02.08.2024 अन्तर्गत धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 7,8,9,25,52 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कांड दैनिकी के कंडिका 116, 122, 129, 131 से विदित है कि साक्षियों ने बयान दिया है कि आवेदक को अन्य सह अभियुक्त अमोद कुमार के साथ गली में घुमते हुए अधर–उधर देखे थे तथा सह अभियुक्त अमोद कुमार का मृतक अंजली कुमारी से प्रेम प्रसंग के कारण विवाद होने का साक्ष्य अभिलेख पर है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका–67 में अभियुक्त नितीश कुमार ने भी स्वीकारोक्ति बयान दिया है कि पोठिया के रोशन कुमार पे0 भोला यादव के बासा पर बैठकर हमलोग प्लान बनाये तथा प्लान के तहत हम तीनों मिलकर घ ाटना वाली रात्रि में अंजली के घर गये। अमोद घर के अन्दर जाकर अंजली के कनपटी से सटाकर गोली मार दिया। सह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 4/2025 दिनांक 15.01.2025 एवं पूरक आरोप पत्र संख्या– 124/2025 दिनांक 31.07.2025 एवं 01/2026 दिनांक 11.01.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 61(2), 3/5 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-b)a26/27/35 न्यायालय में समर्पित किया गया है। इस प्रकार मूल कांड दैनिकी एवं पूरक कांड दैनिकी से विदित है कि आवेदक की मृतिका अंजली देवी की हत्या किये जाने में सह अभियुक्त के साथ संलिप्तता रही है।

5. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से विदित है कि आवेदक सह अभियुक्त के साथ मिलकर सूचिका की पुत्री अंजली को गोली मारकर हत्या करने का अभियुक्त है। मामले की प्रकृति एवं अपराध की गंभीरता तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आवेदक द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 02.04.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता है।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	04-04-2026
Date of Reserving order	04-04-2026
Uploading date	04-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)